

राजस्थान सरकार
निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर-26 प्रतापनगर जयपुर-302033
क्रमांक:-प्रति-1/नियमितिकरण/हो.चि./सीधी भर्ती/3/13/2015/5116

दिनांक:- 25-8-20

-:: कार्यालय आदेश ::-

राजस्थान आयुर्वेद, युनानी, होम्योपैथिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा सेवा 1973 (संशोधन 2013) के अन्तर्गत होम्योपैथिक चिकित्साधिकारियों की सीधी भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति संख्या 03/203 व विज्ञप्ति संख्या 2013 के तहत राज्य सरकार के दो समसंख्यक आदेश क्रमांक प. 10(8)आयु./2015 पार्ट 2 दिनांक 27.01.2017 के द्वारा निम्नांकित की नियुक्ति होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी के पद पर रनिंग पे बैंड (3) 15600-39100 ग्रेड पे संख्या (15) 5400 में दो वर्ष के प्रोबेशन काल पर की गई थी, जिनकी कार्य ग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष का परीविक्षाकाल अवधि पूर्ण हा जाने पर वित्त विभाग के परिपत्र एफ 1(2) एफडी/रूल्स/2006 पार्ट 1 दिनांक 22.05.2009, 11.06.2014 एवं 07.08.2014 के अनुसरण में एवं शासन उप सचिव, आयुर्वेद भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर के पत्रांक पत्र 10(11) आयु./2020 दिनांक 02.07.2020 की पालना में दो वर्षीय परीविक्षाकाल में कार्य संतोषजनकपूर्ण करने के उपरांत इन्हे होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी की पे मेट्रिक्स लेवल-14 में मूल वेतन 56100/ एवं उस पर देय नियमानुसार भत्ते कार्यग्रहण करने की तिथि से दो वर्ष बाद दिये जाने की स्वीकृति एतद्वारा प्रदान की जाती है।

क. सं.	नाम चिकित्साधिकारी मय पिता/पति का नाम	नियुक्ति/पदस्थान	कार्यभार ग्रहण दिनांक	नियमित वेतन दिये जाने की दिनांक
1	2	3	4	6
1.	डॉ. लवीना सामर/श्री राजेन्द्र सिंह सागर	राज. होम्यो. औषधालय चिमनपुरा उदयपुर	02.02.17	02.02.19
2.	डॉ. सुनिल कुमार शर्मा/श्री नत्थु राम शर्मा	राज. होम्यो. औषधालय भौरी भरतपुर	08.02.17	08.02.19



(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक

क्रमांक:-प्रति-1/नियमितिकरण/हो.चि./सीधी भर्ती/3/13/2015/

प्रतिलिपि:- निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर को उनके पत्रांक 10(11) आयु./2020 दिनांक 02.07.2020 के क्रम में सूचनार्थ।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग।
3. कोषाधिकारी, कोष कार्यालय, शासन सचिवालय, जयपुर।

4. नोडल अधिकारी, विभागीय वेबसाइट निदेशालय होम्योपैथिक चिकित्सा विभाग, जयपुर को दी जाकर लेख है कि विभाग की वेबसाइट पर आज ही अपलोड करवाया जाना सुनिश्चित करे।
5. संबन्धित होम्योपैथिक चिकित्साधिकारी, श्री/श्रीमति।
6. कार्यालय की लेखा शाखा को दो प्रतियों में।
7. कार्यालय की विधि शाखा।
8. संबन्धित की निजी पत्रावली हेतु।
9. रक्षित पत्रावली।



(डॉ. रेणु बंसल)
निदेशक